



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1004]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2014/वैशाख 16, 1936

No. 1004]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2014/VAISAKHA 16, 1936

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2014

का.आ. 1212 (अ).---केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) पंजाब का गठन करती है, अर्थात् :-

1.	श्री दर्शन सिंह जैदका, 316, फेज I, एस्टेट पटियाला, पंजाब	अध्यक्ष
2.	श्री अनिल कुमार सोंधी फ्लैट नं० 3, टावर - ए, मल्टीटैक टावर, सेक्टर - 9, मोहाली, पंजाब	सदस्य
3.	विशेष सचिव या अपर सचिव या संयुक्त सचिव, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पंजाब सरकार	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण, के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, पंजाब ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित है ।

4. प्राधिकरण पंजाब इस अधिसूचना द्वारा पंजाब राज्य के लिए गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय करेगी ।

5. प्राधिकरण, पंजाब की सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार के परामर्श से, केन्द्रीय सरकार राज्य विशेषज्ञ आंकन

समिति पंजाब, (जिसे इसमें इसके पश्चात् राविआंस कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	श्री कुलदीप सिंह, आई.एफ.एस (सेवानिवृत्त) मकान नं० 2704, सेक्टर 69 मोहाली - 160062	अध्यक्ष
2.	श्री हरबक्श सिंह मकान नं० 2917, सेक्टर 42-सी चंडीगढ़	सदस्य
3.	इंजी मालविंदर सिंह 10, गिल एन्क्लेव, हीरा नगर के पास पटियाला	सदस्य
4.	आचार्य प्रियव्रत थरेजा, मकान नं. 1010, सेक्टर 42-बी, चंडीगढ़ - 160036	सदस्य
5.	श्री निर्मल सिंह कैहलोन, 5-डी, पासी रोड, पटियाला	सदस्य
6.	डा. अरुणा कुमार यैलूरी, मकान नं. 1-2-33/37, मैरीडियन इक्लेव, प्रशांत नगर हैदर नगर, निजामपेट रोड, हैदराबाद-500085	सदस्य
7.	श्री जसविंदरजीत सिंह सेखों, 5, भूपिंदर रोड, वाईपीएस के निकट पटियाला-147001	सदस्य
8.	डा. अकेपाति शिवरामी रेडडी, सह आचार्य और प्रमुख उर्जा और पर्यावरण स्कूल थापर विश्वविद्यालय, पटियाला	सदस्य
9.	डा. मनप्रीत सिंह भट्टी, सह आचार्य, वानस्पतिक और पर्यावरण विज्ञान विभाग गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर - 143005, पंजाब	सदस्य
10.	डा. वी.के.सिंघल, वनस्पति विज्ञान विभाग पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला	सदस्य
11.	डा. संदीप सिंह विदी सह आचार्य, प्रबंधन अध्ययन स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला	सदस्य
12.	ज्येष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर, (मुख्यालय 2) पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सचिव

6. एसईएसी, पंजाब के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. एसईएसी, पंजाब ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया करेगी और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो उक्त राजपत्र की अधिसूचना में प्रगणित है ।
8. एसईएसी, पंजाब सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।
9. पंजाब राज्य सरकार, प्राधिकरण पंजाब और एस.ई.ए.सी के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।
10. प्राधिकरण, पंजाब के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एसईएसी पंजाब के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता, पंजाब राज्य सरकार के संबद्ध नियमों के अनुसरण में संदत्त होंगे ।

[जे-11013/43/2007-आई.ए. II (I)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th May, 2014

S.O 1212 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Punjab (hereinafter referred to as the Authority, Punjab) comprising of the following Members, namely: —

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Shri Darshan Singh Jaidka,
316, Phase I, Urban Estate Patiala,
Punjab. | Chairman |
| 2. | Shri Anil Kumar Sondhi,
Flat No. 3, Tower-A, Multitech Tower, Sector-9, Mohali,
Punjab. | Member |
| 3. | Special Secretary or Additional Secretary or Joint Secretary,
Department of Science, Technology and Environment,
Government of Punjab. | Member-Secretary |

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Punjab shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification.

4. The Authority, Punjab shall base its decision on the recommendations of the State level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Punjab by this notification.

5. To assist the Authority, Punjab, the Central Government, in consultation with the State Government of Punjab, hereby constitute the State level Expert Appraisal Committee, Punjab (hereinafter referred to as SEAC) comprising of the following Chairman and Members, namely :—

1.	Sh. Kuldip Singh, IFS (Retired) House No. 2704, Sector 69, Mohali-160062.	Chairman
2.	Shri Harbax Singh House No. 2917, Sector 42-C, Chandigarh.	Member
3.	Er. Malvinder Singh 10, Gill Enclave, Near Hira Nagar, Patiala.	Member
4.	Prof. Priyavrat Thareja, House No. 1010, Sector 42-B, Chandigarh-160036.	Member

5	Shri Nirmal Singh Kahlon, 5-D Passy Road, Patiala.	Member
6	Dr. Arun Kumar Yeluri Door No. 1-2-33/37, Meridian Enclave, Prasanth Nagar, Hydernagar, Nizampet Road, Hyderabad-500085.	Member
7	Shri Jaswinderjit Singh Sekhon, 5, Bhupindra Road, Near YPS, Patiala-147001.	Member
8	Dr. Akepati Sivarami Reddy, Associate Professor & Head, School of Energy and Environment, Thapar University, Patiala.	Member
9	Dr. Manpreet Singh Bhatti Assistant Professor, Department of Botanical and Environment Sciences, Guru Nanak Dev University, Amritsar-143005, Punjab.	Member
10	Dr. V. K. Singhal, Department of Botany, Punjabi University, Patiala.	Member
11	Dr. Sandeep Singh Virdi, Assistant Professor, School of Management Studies, Punjabi University, Patiala.	Member
12	Senior Environmental Engineer (Head Quarter 2), Punjab Pollution Control Board, Patiala	Secretary

6. The Chairman and Members of SEAC, Punjab shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Punjab shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification.

8. The SEAC, Punjab shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The State Government of Punjab shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Punjab and the SEAC, Punjab and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority, Punjab and the Chairman and Members of SEAC, Punjab shall be paid in accordance with the concerned rules of the State Government of Punjab.

[J-11013/ 43 / 2007- IA.II (I)]

AJAY TYAGI , Jt. Secy.